न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/166/2021 — रजि0 न0 2021/356

अपीलार्थीः–

श्री नोरतमल बाबेल पुत्र बिरदी चन्द बाबेल, जाति जैन, निवासी मरूधर मार्केट, मेवाडी गेट के अन्दर महावीर बाजार, ब्यावर जिला अजमेर, (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 25.10.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 25.10.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकोरी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1940 दिनांक 14.10.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि चाही गई वांछित सूचना राज्य सरकार/प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी आदेश/सर्कूलर/परिपत्र की प्रमाणित प्रति चाही गई है थी जिसमें किसी प्रकार के आदेश सं0 व दिनांक वर्णित नही है अथवा विशिष्टीविहीन आवेदन है। साथ पत्रांक 1738 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि राज्य सरकार/प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी आदेश/सर्कूलर/परिपत्र की प्रमाणित प्रति उन्ही के स्तर पर जारी की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर